NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH
Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 174/NCRES/19

Date: 27.06.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः– इलाहाबाद मंडल द्वारा J.E टेली 20% की परीक्षा का जारी नोटिफिकेशन संख्या 745 ई/ई.इजी./भाग–।।। दिनांक 12.09.2017 में छूटे कर्मचारियो की परीक्षा कराने हेतु।

महोदय,

NCRES का अनुरोध है कि निम्न तथ्यों पर गम्भीरता से विचार कर निर्णय लिया जाय ताकि S&T विभाग के कर्मचारियों को न्याय मिल सके।

(1) इलाहाबाद मंडल में J.E टेली 20% कोटे की परीक्षा के जारी नोटिफिकेशन दिनांक 12.09.2017 में सामान्य वर्ग के 4 पद एवं SC/ST वर्ग के 3 पद विज्ञापित किये गये थे।

(2) दिनांक 12.09.2017 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार JE(Tele) के पद पर चयन के लिये अन्य लोगो के साथ निम्नलिखित 7 लोगो ने प्रार्थना पत्र दिया लेकिन परीक्षा के लिये पात्र लोगो की सूची में निम्न सभी का नाम नही था और इन्हे बताया गया कि नोटिफिकेशन के अनुसार आप सभी की तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी नही हैं।

(3) NCRES के इलाहाबाद की शाखा संख्या 5 ने अपने पत्र दिनांक 15.02.2018 (संलग्नक–1) द्वारा अनुरोध किया कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्याः– E(NG)I-93/PM1/4 दिनांक 18.01.1993 के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों के सेवाकाल में ट्रेनिंग पीरियड जोड़ कर उन्हे JE(Tele) 20% की परीक्षा में शामिल किया जाय। लेकिन इलाहाबाद मंडल के कार्मिक विभाग ने JE टेली 20% की परीक्षा में निम्न 7 लोगो को शामिल नही किया।

क्रम0	नाम	पद	आधीन
1	श्री अंकुर श्रीवास्तव	TCM/II/ALD	SSE/TELE/I/ALD
2	श्री प्रेम चन्द्र सिंह कुशवाहा	TCM/II/ALD	SSE/TELE/I/ALD
3	श्री नवल किशोर	TCM/II/JEP	SSE/TELE/II/ALD
4	श्री शंभु कुमार	TCM/II/TDL	SSE/TELE/TPDL
5	श्री अविनाश कुमार	TCM/II/PHD	SSE/TELE/ETW
6	श्री संजीत कुमार	TCM/II/TDL	SSE/TELE/TDL
7	श्री राकेश कुमार	TCM/II/TDL	SSE/TELE/TDL

(4) NCRES के मंडल सचिव ने पत्र संख्या NCRES/ALD/12/2018 दिनांक 03.10.2018 (संलग्नक–2) के द्वारा पुनः वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी इलाहाबाद से अनुरोध किया कि रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 18.01.1993 को संज्ञान में लेकर उपरोक्त छूटे कर्मचारियों को JE(Tele) 20% की परीक्षा करायी जाय अन्यथा उन्हे अपूर्णनीय क्षति होगी और यह भी अनुरोध किया कि छूटे कर्मचारियों की परीक्षा के बाद ही परिणाम घोषित किया जाए, लेकिन दिनांक 21.12.2018 को पत्र संख्या 745–E/I-Engg/Selection (TCI) Part-II के द्वारा कार्मिक विभाग ने JE टेली 20% की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया।

(5) NCRES ने व.मं. कार्मिक अधिकारी/इलाहाबाद को यह भी बताया कि झांसी एवं आगरा मंडल ने भी पूर्व में JE टेली 20% की परीक्षा की पात्रता हेतु ट्रेनिंग पीरियड को शामिल नही किया था परन्तु NCRES द्वारा रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 18.01.1993 संज्ञान में लाने के पश्चात झांसी मंडल ने त्रुटि में सुधार करते हुये उन कर्मचारियों को JE(Tele) 20% की परीक्षा में शामिल किया जिन्होने 3 वर्ष की सेवाकाल में ट्रेनिंग पीरियड के कार्य दिवस को जोड़कर प्रार्थना पत्र दिया था।

(6) खेद के साथ अवगत कराना है कि उपरोक्त तथ्यों के बावजूद इलाहाबाद मंडल ने JE(Tele) 20% की परीक्षा में उन कर्मचारियों को भाग नही लेने दिया जिन्होने बोर्ड के पत्र दिनांक 18.01.1993 के अनुसार अपने सेवाकाल में ट्रेनिंग के कार्य दिवसों को जोड़कर अपना प्रार्थना पत्र जमा किया था।

(7) इलाहाबाद मंडल के मनमाने रवैय्ये के कारण NCRES ने इस मुद्दे को महाप्रबन्धक महोदय के समक्ष पी.एन.एम. बैठक में उठाया तो प्रधान कार्यालय ने पत्र संख्याः–E(NG)I-93/PM1/4 दिनांक 04.06.2019 (संलग्नक–3) के द्वारा आदेश जारी किया कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्याः–E(NG)I-93/PM1/4 1993 के अनुसार JE टेली 20% की परीक्षा में ट्रेनिंग पीरियड को जोड़कर ही पात्रता का निर्धारण किया जाना चाहिये।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इलाहाबाद मंडल की हठधर्मिता के कारण उपरोक्त श्री अंकुर श्रीवास्तव +6 को अपूर्णनीय क्षति हुई है, इसलिये NCRES की मांग है कि JE टेली 20% के नोटिफिकेशन दिनांक 12.09.2017 के अनुसार छूटे उपरोक्त 07 कर्मचारियों की पुनः परीक्षा कराने हेतु उचित आदेश करने का कष्ट करें और उसकी प्रतिलिपि NCRES को भी देने का कष्ट करें।

संलग्नः– (1) NCRES का पत्र दिनांक 15.02.2018

(2) NCRES का पत्र दिनांक 03.10.2018

(3) प्रधान कार्यालय का पत्र दिनांक 04.06.2019

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री